नरसिंह / सरकार

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही	
12.11.21	कार्यालय प्रतिवेदन का अवलोकन किया / अपील subject to limitation दर्ज की जावे / स्थगन प्रा० पत्र पर वकील अपीलांट को सुना / पत्रावली का अवलोकन किया / पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश दि० 12.3.2020 को पारित किया जाकर अप्रार्थी (अपीलांट) की तामील हेतु समन नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये थे, परन्तु अप्रार्थी की तामील नहीं कराई गई / इससे अपीलांट अप्रार्थी अपना जवाब पेश करने से वंचित रहा है / साथ ही अंतरिम स्थगन के रहते वह अपनी खातेदारी की भूमि का उपयोग उपभोग भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है / यह कानून का सुस्थापित सिद्धान्त है कि खातेदार के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से पूर्व उसे सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किया जावे / परन्तु तहत अदालत द्वारा ऐसा नहीं किया गया और अपीलांट को बिना सुने अन्तरिम स्थगन आदेश जारी कर प्रकरण में तारीख पे तारीख लगाई जाती रही है / यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आदेश 39 नियम 3(क) CPC में प्रावधान किया गया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रा० पत्र का निस्तारण 30 दिवस में किया जावे / तहत अदालत ने इस प्रावधान का भी पालना नहीं किया है / अतः आदेश 39 नियम 3 (क) के प्रावधानों की पालना करते हुए धारा 212 RTA के प्रा० पत्र	

— लगातार —

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिका\
अलवर (राज०)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही

का विस्तारण करने हेतु हम तहत अदालत को आदेशित करना न्यायोचित समझते हैं ।

अतः आदेश है कि अपील आंशिक स्वीकार कर तहत अदालत को आदेशित किया जाता है कि वो धारा 212 आर० टी० एक्ट के प्रा-पत्र में उभयपक्ष को सुनकर CPC के आदेश 39 नियम 3 (क) में दी गई समयावधि में उक्त प्रा० पत्र का विस्तारण करें, तब तक तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दि० 12.3.2020 निरस्त किया जाता है। अपीलां2 तहत अदालत में नियत दिनांक को वास्ते सुनवाई उपस्थित हो। पत्रावली कैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो ।

पुनश्च :- इस निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को यथोचित भिजवाई जावे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

9.11.20